



Neutral Citation No. - 2026:AHC:61432-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट सी याचिका संख्या - 9125 वर्ष 2026

कंचन और 3 अन्य

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: नीरज श्रीवास्तव

प्रतिवादी के अधिवक्ता: सी.एस.सी., कौशलेंद्र नाथ सिंह

न्यायालय संख्या - 21

माननीय न्यायमूर्ति महेश चन्द्र त्रिपाठी

माननीय न्यायमूर्ति कुणाल रवि सिंह

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



1. हमने याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री नीरज श्रीवास्तव, राज्य के विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री देवेश विक्रम और प्रतिवादी संख्या 2, 3 और 4 के विद्वान अधिवक्ता श्री कौशलेंद्र नाथ सिंह की दलीलें सुनीं।

2. यह रिट याचिका निम्नलिखित राहत की मांग करते हुए दायर की गई है:-

"क. परमादेश के रूप में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करें, जिसमें प्रतिवादी अधिकारियों को याचिकाकर्ताओं की शिकायत पर विचार करने का निर्देश दिया जाए, स्ट्रीट वैंडर्स (आजीविका संरक्षण एवं स्ट्रीट वैंडिंग विनियमन) अधिनियम, 2014 और माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा रिट सी संख्या 3570/2021 (जसविंदर सिंह एवं 13 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य) में पारित आदेश के अनुसार।

ख. परमादेश के रूप में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करें, जिसमें प्रतिवादी अधिकारियों को याचिकाकर्ताओं को उनकी संबंधित जगहों पर उनकी छोटी दुकानें चलाने से विस्थापित और परेशान न करने का निर्देश दिया जाए।

सी. परमादेश के रूप में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करें जिसमें प्रतिवादी अधिकारियों को याचिकाकर्ताओं के विस्थापन या बेदखली के संबंध में कोई भी दंडात्मक कार्रवाई न करने का निर्देश दिया जाए और याचिकाकर्ताओं की दुकान को उनके संबंधित स्थान पर पुनः स्थापित किया जाए।

डी. कोई अन्य और उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी करें जो माननीय न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए न्याय के हित में उचित समझे।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



ई. याचिका की लागत याचिकाकर्ताओं के पक्ष में तय की जाती है।”

3. याचिकाकर्ता, जो सड़क विक्रेता हैं, सड़क विक्रेता अधिनियम, 2014 (संक्षेप में 'अधिनियम 2014') के तहत, उत्तर प्रदेश सड़क विक्रेता (आजीविका संरक्षण और सड़क विक्रेता विनियमन) नियम 2018 के नियम 12 के साथ पढ़े जाने पर, बिक्री क्षेत्र के आवंटन का दावा करते हैं।

4. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि याचिकाकर्ता सड़क विक्रेता हैं और प्रतिवादी प्राधिकरण ने मनमाने ढंग से याचिकाकर्ताओं के दावे को खारिज कर दिया है, जबकि उन्होंने सर्वेक्षण के अनुसार निर्धारित बिक्री क्षेत्र में ही बिक्री की है। उन्होंने दिनांक 01.05.2024 के आदेश पर भरोसा जताया है, जिसे पूरक हलफनामे के साथ रिकॉर्ड पर लाया गया है। उनका कहना है कि उक्त आदेश रिट याचिका संख्या 32279/2022 (रतन यादव और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य) में दिनांक 31.10.2022 को पारित आदेश के जवाब में पारित किया गया था और याचिकाकर्ताओं का दावा 2014 के अधिनियम के अंतर्गत आता है।

5. इसके विपरीत, नोएडा प्राधिकरण के विद्वान अधिवक्ता श्री कौशलेंद्र नाथ सिंह ने याचिका का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि अधिनियम 2014 के तहत सर्वेक्षण किया गया था, जिसमें पाया गया कि विभिन्न क्षेत्रों में 7652 विक्रेता कार्यरत थे, जिनमें से 4936 व्यक्तियों को पहले से ही वेंडिंग ज़ोन में स्थान आवंटित किए जा चुके थे। उन्होंने बताया कि सर्वेक्षण के समय याचिकाकर्ता वेंडिंग ज़ोन में काम नहीं कर रहे थे। प्राधिकरण का पहला प्रयास शेष विक्रेताओं को वेंडिंग ज़ोन में पुनर्स्थापित करना है और उसके बाद नया सर्वेक्षण किया जाएगा, तभी नए क्षेत्र का निर्धारण किया जाएगा।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, हमें सर्वेक्षण रिपोर्ट को खारिज करने का कोई कारण नहीं दिखता और श्री कौशलेन्द्र नाथ सिंह की आपत्ति उचित है। यह हमेशा अपेक्षित होता है कि प्राधिकरण सर्वेक्षण में पाए गए और वास्तव में सड़क किनारे व्यापार कर रहे विक्रेताओं को उचित मुआवज़ा दे।

7. उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, हम विवादित आदेश को रद्द करने के पक्ष में नहीं हैं। यह कहना अनावश्यक है कि याचिकाकर्ता उचित समय पर अधिनियम, 2014 के तहत राहत पाने के लिए स्वतंत्र हैं।

8. उपरोक्त टिप्पणी के साथ, वर्तमान रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

(न्यायमूर्ति कुणाल रवि सिंह) (न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी)

25 मार्च, 2026

एनएलवाई

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।